



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267539
CG-DL-E-10112025-267539

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4914]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2025/कार्तिक 19, 1947

No. 4914]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2025/KARTIKA 19, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2025

का.आ. 5069(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना (संख्या का.आ. 78(अ), दिनांक 04 फरवरी, 1999 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (नया एनएच-48) के किलोमीटर 10.000 से किलोमीटर 29.565 (बैंगलोर से नेलमंगला) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

और यतः, भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2089(अ) दिनांक 26 अगस्त, 2010 द्वारा, केन्द्र सरकार ने कंसेसनेयर मेसर्स नवयुग बैंगलुरु टोलवे प्राइवेट लिमिटेड को कर्नाटक राज्य में बीओटी (टोल) पर एनएच-4 के किमी.10.000 से किमी.29.500 तक बैंगलोर-नेलामंगला खंड की परियोजना के निर्माण के लिए, प्राधिकरण और कंसेसनेयर के बीच हुए करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति तिथि तक शुल्क एकत्र करने और रखने के लिए अधिकृत किया था।

और यतः, बीओटी (टोल) रियायत करार को प्राधिकरण द्वारा 21 फरवरी, 2021 को समाप्त कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप करार का पुरोबंध कर दिया गया था।

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 व इसके संशोधनों (जिसे इसके पश्चात “नियम” कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 2089(अ) दिनांक 26 अगस्त, 2010 का अधिक्रमण करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के बैंगलोर-नेलमंगला खंड के किमी 10.000 से किमी 29.500 तक चार/छह लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर सारणी-2 के अनुसार 15.131 किमी की निवल सड़क खंड लंबाई और सारणी-3 के अनुसार 44.34 किमी (4.434 किलोमीटर की लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क उद्घीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थातः-

सारणी-1

वाहन का प्रकार (1)	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में) (2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धूरी वाले)	2.20
तीन धूरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूर्विंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधूरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धूरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धूरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्घीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाज़ाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क खंड लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ाओं में देय और संदेय होगी, अर्थातः

सारणी 2

शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनैज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
कर्नाटक राज्य के बैंगलुरु शहरी जिले में पारले जी फैक्ट्री/ चिक्काविदिराकल्लू गांव के पास एमसीडब्ल्यू, नेलमंगला की ओर आने वाले यातायात के लिए किमी/चेनैज 14.825* एलएचएस पर मुख्य शुल्क प्लाज़ा	15.131 किमी [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कर्नाटक राज्य के बैंगलुरु ग्रामीण जिले में नेलमंगला गांव के पास एमसीडब्ल्यू, बैंगलुरु शहर में आने वाले यातायात के	15.131 किमी [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक) और	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

लिए किमी/ चेनेज़ 26.050* आरएचएस पर मुख्य शुल्क प्लाज़ा	(>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	
कर्नाटक राज्य के बैंगलुरु शहरी जिले के मदावरा गांव में सर्विस रोड से एमसीडब्ल्यू में प्रवेश, नेलमंगला की ओर आने वाले यातायात के लिए किमी/चेनेज़ 17.375* एलएचएस पर उप टोल प्लाज़ा	11.842 किमी [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कर्नाटक राज्य के बैंगलुरु ग्रामीण जिले के अरिसिनाकुंटे गांव में सर्विस रोड से एमसीडब्ल्यू में प्रवेश, नेलमंगला की ओर आने वाले यातायात के लिए किमी/चेनेज़ 23.150* एलएचएस पर उप टोल प्लाज़ा	6.067 किमी [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कर्नाटक राज्य के बैंगलुरु ग्रामीण जिले के अरिसिनाकुंटे गांव में सर्विस रोड से एमसीडब्ल्यू में प्रवेश, बैंगलुरु शहर में आने वाले यातायात के लिए किमी/चेनेज़ 23.500* आरएचएस पर उप टोल प्लाज़ा	9.414 किमी [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कर्नाटक राज्य के बैंगलुरु शहरी जिले के एंचेपल्या गांव में सर्विस रोड से एमसीडब्ल्यू में प्रवेश, बैंगलुरु शहर में आने वाले यातायात के लिए किमी/चेनेज़ 16.600* आरएचएस पर उप टोल प्लाज़ा	2.514 किमी [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*शुल्क प्लाज़ा में प्रवेश करने वाले सङ्क उपयोगकर्ताओं को उस प्लाज़ा की लंबाई के अनुरूप गणना की गई उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

सारणी 3			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज़)	सङ्क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई ^a (कि.मी. में)	समकक्ष सङ्क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
किमी/चेनेज़ 14.825* एलएचएस पर, कर्नाटक राज्य के बैंगलुरु शहरी जिले में पारले जी फैक्ट्री/चिक्काविदिराकल्लू गांव के पास एमसीडब्ल्यू	4.434	44.34	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

किमी/चेनेज़ 26.050* आरएचएस पर मुख्य शुल्क प्लाजा कर्नाटक राज्य के बैंगलुरु ग्रामीण जिले में नेलमंगला गांव के पास एमसीडब्ल्यू	4.434	44.34	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
किमी/चेनेज़ 17.375* एलएचएस पर, कर्नाटक राज्य के बैंगलुरु शहरी जिले के मदावरा गाँव में सर्विस रोड से एमसीडब्ल्यू में प्रवेश	0.348	3.48	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
किमी/चेनेज़ 23.150* एलएचएस पर, कर्नाटक राज्य के बैंगलुरु ग्रामीण जिले के अरिसिनाकुंटे गांव में सर्विस रोड से एमसीडब्ल्यू में प्रवेश	0.348	3.48	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
किमी/चेनेज़ 23.500* आरएचएस पर, कर्नाटक राज्य के बैंगलुरु ग्रामीण जिले के अरिसिनाकुंटे गांव में सर्विस रोड से एमसीडब्ल्यू में प्रवेश	4.086	40.86	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
किमी/चेनेज़ 16.600* आरएचएस पर, कर्नाटक राज्य के बैंगलुरु शहरी जिले के अंचेपल्या गांव में सर्विस रोड से एमसीडब्ल्यू में प्रवेश	4.086	40.86	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*शुल्क प्लाजा में प्रवेश करने वाले सङ्क उपयोगकर्ताओं को उस प्लाजा की लंबाई के अनुरूप गणना की गई उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा।

विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का नाम और प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	10.269	14.355	उत्थापित राजमार्ग	4.086
2	27.673	28.021	फ्लाईओवर	0.348
कुल लंबाई				4.434

1. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-4		
संदेय धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

4. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

5. सभी परिभाषाएँ, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

6. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

7. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

8. इस परियोजना की अनुमानित पूँजीगत लागत 1455 करोड़ रुपए है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कामों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूँजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूँजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एनएच फी रूल्स2008 (बी-एन) के अनुसार संशोधित उपयोगकर्ता शुल्क का प्रकाशन/ई-203063]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2025

S.O. 5069(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport & Highways number S.O. 78 (E) dated 04th February , 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988(68 of 1988), the Central Government, entrusted the stretch from Kilometer 10.000 to kilometer 29.565 (Bangalore to Nelamangala) of National Highway No. 4 (New NH-48) in the state of Karnataka to the National Highway Authority of India(hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2089 (E) dated the 26th August, 2010, the Central Government authorised Concessionaire M/s Navayuga Bengaluru Tollway Private Limited to collect and retain the fee until the termination date as specified in the agreement entered between Authority and Concessionaire for construction of project of Bangalore - Nelamangala section from Km. 10.000 to Km. 29.500 of NH-4 in the state of Karnataka on BOT (Toll).

And whereas, BOT (Toll) Concession Agreement was terminated by Authority on 21 February, 2021, thereby resulting in the foreclosure of the agreement.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and its amendments (hereinafter referred to as the “said Rules”), and in supersession of the Gazette notification number S.O. 2089 (E) dated 26.08.2010, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 15.131 as per Table-2 and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 44.34 Km (having length of 4.434 Km) as per Table-3 - on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four/six laning Bangalore - Nelamangala section from Km. 10.000 to Km. 29.500 of National

Highway No. 4 in the State of Karnataka and authorise the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the same fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

TABLE 2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Main Fee Plaza for the Traffic inbound to Nelamangala At Km/Ch. 14.825* LHS, MCW near Parle G Factory/Chikkabidirakallu village in Bengaluru Urban district of State Karnataka	15.131Km {Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)}	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
Main Fee Plaza for the Traffic inbound to Bengaluru City At Km/Ch. 26.050* RHS, MCW near Nelamangala village in Bengaluru Rural district of State Karnataka	15.131Km {Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)}	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
Intermittent At Km/Ch. 17.375* LHS for the Traffic inbound to Nelamangala, Entry to MCW from Service Road Madavara village in Bengaluru Urban district of State Karnataka	11.842Km {Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)}	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
Intermittent At Km/Ch. 23.150* LHS for the Traffic inbound to Nelamangala, Entry to MCW from Service Road Arisinakunte village in Bengaluru Rural district of State Karnataka	6.067Km {Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)}	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
Intermittent At Km/Ch. 23.500* RHS for traffic inbound to Bengaluru City, Entry to MCW from Service Road Arisinakunte village in Bengaluru Rural district of State Karnataka	9.414 Km {Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)}	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

Intermittent At Km/Ch. 16.600* RHS for traffic inbound to Bengaluru City, Entry to MCW from Service Road Anchepalya village in Bengaluru Urban district of State Karnataka	2.514Km {Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)}	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
--	---	---

*Road users entering a Fee Plaza shall pay a calculated user fee for the length corresponding to that plaza.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

TABLE-3

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures [^] (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 14.825* LHS, MCW near Parle G Factory/Chikkabidirakallu village in Bengaluru Urban district of State Karnataka	4.434	44.34	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch. 26.050* RHS, MCW near Nelamangala village in Bengaluru Rural district of State Karnataka	4.434	44.34	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch. 17.375* LHS, Entry to MCW from Service Road Madavara village in Bengaluru Urban district of State Karnataka	0.348	3.48	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch. 23.150* LHS, Entry to MCW from Service Road Arisinakunte village in Bengaluru Rural district of State Karnataka	0.348	3.48	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch. 23.500* RHS , Entry to MCW from Service Road Arisinakunte village in Bengaluru Rural district of State Karnataka	4.086	40.86	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch. 16.600* RHS , Entry to MCW from Service Road Anchepalya village in Bengaluru Urban district of State Karnataka	4.086	40.86	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

*Road users entering a Fee Plaza shall pay a calculated user fee for the length corresponding to that plaza.

[^]The details are as under: -

SL No	Chainage		Type and Name of Structure	Length In Km
	From	To		
1	10.269	14.355	Elevated Highway	4.086
2	27.673	28.021	Flyover	0.348
Total Length				4.434

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

4. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

5. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

6. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

7. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

8. The estimated capital cost of the project is Rupees 1455 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. Publication Publication of revised user feera tesasper NH Fee Rules 2008 (B-N)/E-203063]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.